

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-6/खा० म० मधेपुरा-03/2015-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

सेवा में,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-24.11.2016 के मद संख्या-21 में दी गई स्वीकृति के आलोक में मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा अंचल के मौजा-तुनयाही उत्तरवाड़ी थाना सं०-67, खाता सं०-294 खेसरा सं०-1958 एवं 1959, रकबा क्रमशः 0.49 एकड़ एवं 0.11 एकड़ कुल रकबा-0.60 एकड़ किस्म अनाबाद बिहार सरकार पुरानी परती भूमि 13,000/- (तेरह हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 7,80,000/- (सात लाख अस्सी हजार) रू० सलामी एवं सलामी के दो प्रतिशत 15,600/- (पन्द्रह हजार छः सौ) रू० का पच्चीस गुणा अर्थात् 3,90,000/- (तीन लाख नब्बे हजार) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल-11,70,000/- (ग्यारह लाख सत्तर हजार) रू० के मुगतान पर 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, मधेपुरा को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

4. इस बन्दोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष-0029 भू-राजस्व-101-भू राजस्व कर-0001-भूमि राजस्व-75-10 कर मद में जमा होगी जिसका विपत्र कोड-आर०-0029001010001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रवीण कुमार झा),
सरकार के विशेष सचिव।

निबंधित

ज्ञाप सं०-6/खा० म० मधेपुरा-03/2015-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख संख्या-02/2015-16 संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

ह०/-

(प्रवीण कुमार झा),
सरकार के विशेष सचिव।

